न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 57/2019

1 धीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भवानी सिंह पुत्र भंवरसिंह।
2 जनत कंवर पत्नी भंवरसिंह।
3 देवेन्द्र सिंह पुत्र सुगनसिंह।
4 मगन सिंह पुत्र सुगनसिंह।
5 समदर सिंह पुत्र सुगनसिंह।
6 श्रवण सिंह पुत्र सुगनसिंह।
7 रामपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
8 नन्दलाल सिंह पुत्र सवाई सिंह।
9 श्रवण सिंह पुत्र सवाई सिंह।
10 हवा कंवर पत्नी मदनसिंह।
11 गजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह।
12 आनन्द सिंह पुत्र मदनसिंह।
13 रणजीत सिंह पुत्र मदनसिंह।
14 गोरधन सिंह पुत्र भंवरसिंह।
15 दलीप सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
16 नरेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
17 किशन सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
18 गोपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
19 सुमेर सिंह पुत्र श्रीलाल सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 रघुवीर सिंह पुत्र रावत सिंह।
21 मनोहर सिंह पुत्र रावत सिंह।
22 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह।
23 नरपत सिंह पुत्र रावत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुढ़ा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
24 राजपाल पुत्र भोलू जाति जाट निवासी खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 शीशराम पुत्र गणपतरराम जाति जाट निवासी नगली सलेदी सिंह तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
26 संदीप कुमार पुत्र सीताराम जाति जांगिड़ निवासी चारा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
27 अजीत कुरेशी पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
28 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योचन्दराम जाति जाट निवासी छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
29 येतेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
30 अमरसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
31 धर्मेन्द सिंह पुत्र खीबसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी एफ.एन.273 तिलकयात जहांगिरदार कॉम्पलेक्स औंरगाबाद मध्यप्रदेश।
32 राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
33 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
34 उप पंजियक कम उप तहसील गुढ़गौडजी जिला झुंझुनू।
35 हल्का पटवारी पटवार हल्का टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
36 सुनिता कंवर पत्नी गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
खिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी
धीरसिंह बनाम भवानीसिंह वगैरह दावा बाबत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 74/2016 व 213/17

अपील संख्या 58/2019

1 1 धीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भवानी सिंह पुत्र भंवरसिंह।
2 जनत कंवर पत्नी भंवरसिंह।
3 देवेन्द्र सिंह पुत्र सुगनसिंह।
4 मगन सिंह पुत्र सुगनसिंह।
5 समदर सिंह पुत्र सुगनसिंह।
6 श्रवण सिंह पुत्र सुगनसिंह।
7 रामपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
8 नन्दलाल सिंह पुत्र सवाई सिंह।
9 श्रवण सिंह पुत्र सवाई सिंह।
10 हवा कंवर पत्नी मदनसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 गजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह।
12 आनन्द सिंह पुत्र मदनसिंह।
13 रणजीत सिंह पुत्र मदनसिंह।
14 गोरधन सिंह पुत्र भंवरसिंह।
15 दलीप सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
16 नरेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
17 किशन सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
18 गोपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
19 सुमेर सिंह पुत्र श्रीलाल सिंह।
20 रघुवीर सिंह पुत्र रावत सिंह।
21 मनोहर सिंह पुत्र रावत सिंह।
22 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रावत सिंह।
23 नरपत सिंह पुत्र रावत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुढ़ा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
24 राजपाल पुत्र भोलू जाति जाट निवासी खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 शीशराम पुत्र गणपतरराम जाति जाट निवासी नगली सलेदी सिंह तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
26 संदीप कुमार पुत्र सीताराम जाति जांगिड़ निवासी चारा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
27 अजीत कुरेशी पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
28 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योचन्दराम जाति जाट निवासी छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
29 येतेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
30 अमरसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

31 धर्मेन्द सिंह पुत्र खीबसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी एफ.एन.273 तिलकयात जहांगिरदार कॉम्पलेक्स औंरगाबाद मध्यप्रदेश।
32 राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
33 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
34 उप पंजियक कम उप तहसील गुढ़गौडजी जिला झुंझुनू।
35 हल्का पटवारी पटवार हल्का टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
36 सुनिता कंवर पत्नी गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
खिलाफ निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.04.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी
धीरसिंह बनाम भवानीसिंह वगैरह दावा बाबत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 74/2016 व 213/17

उपस्थिति :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 06.04.2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2016 व 213/2017 में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 08.04.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक दावा उनवानी धीर सिंह बनाम भवानी सिंह योग्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया, तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 667 रकबा 3.08 है. के बाबत प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमीन अपीलान्ट के पैतृक व सामलाती जमीन है। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी नं. 36 सुनिता कंवर ने गलत रूप से ऑर्डर 1 रूल 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन दिया है व पक्षकार बनी है तथा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं. 36 सुनिता कंवर द्वारा 1/6 हक हिस्से के लिये गलत रूप से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.03.2019 को रेस्पोडेन्ट नं. 36 सुनिता कंवर का काउन्टर क्लेम खारिज क दिया है तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 13 व प्रतिवादी नं. 15 लगायत 23 व 33 लगायत 35 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा बाद में बिना अपीलान्ट के सूचित किये बाला बाला ही दिनांक 08.04.2019 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दिया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रकिया पूरी किये वादी अपीलान्ट को सूचित किये बिना वादी अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.04.2019 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है तथा दिनांक 22.04.2019 को रेस्पोडेन्ट सुनिता कंवर, येतेन्द्र सिंह, राजपाल, शीशराम, राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योचन्दराम, राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजाराम व अमर सिंह के द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रकिया पूरी किये वादी अपीलान्ट को सूचित किये बिना वादी अपीलान्ट के

खण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.04.2019 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपील पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2019 पारित की है। अपीलान्ट उक्त जमीन में मौके पर उतर की तरफ जमीन काश्त करता है जबकि अपीलान्ट को दक्षिण की तरफ जमीन देना दर्ज किया गया है जबकि दक्षिण में तो उक्त जमीन में अन्य रेस्पोडेन्टस काबिज काश्त है इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट को दक्षिण में जमीन हिस्सा देना पूर्णतया गलत है, निराधार है, कानून के सिद्धांतों के विपरित है। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2019 अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित जमीन में रेस्पोडेन्ट सं. 36 सुनिता कंवर पत्नी गोपाल सिंह को 4/25 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो कि पूर्णतया गलत है। इससे प्रतित होता है कि उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2019 प्रथम दृष्टया ही गलत व निराधार है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं. 36 के तोप कंवर के 1/6 हिस्से के लिए तथाकथित वसीयत के आधार पर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था तो कि उक्त काउण्टर क्लेम योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.03.2019 को खारिज कर दिया जब योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 36 सुनिता कंवर का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया जो उनका उक्त जमीन में किसी भी प्रकार का अधिकार निहित नहीं रहा न ही रेस्पोडेन्ट नं. 36 उक्त जमीन में कभी काबिज काश्त रही है। रेस्पोडेन्ट नं. 36 सुनीता कंवर का भी नाम दर्ज किया गया है जबकि सुनीता कंवर रेस्पोडेन्ट नं. 36 का उक्त जमीन से कोई सम्बन्ध नही है, ना ही उक्त जमीन के सम्बन्ध में वसीयत है, ना ही काबिज काश्त है ना ही कभी काश्त की है, ना ही कोई हिस्सा है, ना ही खातेदार है तथा काउन्टर क्लेम दिनांक 29.03.2019 को खारिज हो चुका है। गलत रूप से निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक

अ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

08.04.2019 में सुनीता कंवर रेस्पोडेन्ट नं. 36 का नाम दर्ज किया गया है। खातेदार घोषित किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में ना ही तनकीयात कायम की है ना ही वादी अपीलान्ट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य ली गई है ना ही दस्तावेजों का अवलोकन करे व बिना साक्ष्य लिए कानून के नियमों के विरूद्ध तथा सीपीसी के नियमों व राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 द्वितीय व साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को जानबूझकर नजरअंदाज कर गलत रूप से निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2019 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2019 को जो शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी वादी/अपीलाण्ट पर कोई तामील नहीं हुई है, ना ही अपीलाण्ट को कोई जानकारी रही है, ना ही अपीलान्ट को सूचित किया गया है, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, गलत व निराधार रूप से वादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 24.04.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा गलत रूप से निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वादी अपीलांट धीर सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.04.2019 में वादी अपीलाण्ट की जरिये वकील उपस्थिति अंकित है। इस प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अपील प्रस्तुत की गई है। जब वादी अपीलाण्ट प्राथमिक डिक्री जारी करने के समय विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था तो अपील प्रस्तुत करने में तीन माह का समय व्यतीत क्यों किया इसका दिन प्रतिदिन का कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.04.2019 से स्पष्ट होता है कि शीघ्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई के आवेदन पर एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। अपीलाण्ट को यदि सम्यक तामील नहीं हुई है तो अपीलाण्ट को विचारण न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। अपील के स्तर पर तामील के बिन्दु पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1,2, 14, 24 लगायत 32, 36 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का, आई एल आर, तहसीलदार एवं पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी है। विवादित भूमि में अपीलान्ट का भूमि विशेष पर कब्जा व अधिकार होने का कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में किसी पक्षकार की खातेदारी की उदघोषण नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वादी अपीलांट धीर सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.04.2019 में वादी अपीलाण्ट की जरिये वकील उपस्थिति अंकित है। इस प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अपील प्रस्तुत की गई है। जब वादी अपीलाण्ट प्राथमिक डिक्री जारी करने के समय विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था तो अपील प्रस्तुत करने में तीन माह का समय व्यतीत क्यों किया इसका दिन प्रतिदिन का कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.04.2019 से स्पष्ट होता है कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। अपीलाण्ट को यदि सम्यक तामील नहीं हुई है तो अपीलाण्ट को विचारण न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। अपील के स्तर पर तामील के बिन्दु पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1,2, 14, 24 लगायत 32, 36 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का, आई एल आर, तहसीलदार एवं पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी है। विवादित भूमि में अपीलान्ट का भूमि विशेष पर कब्जा व अधिकार होने का कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में किसी पक्षकार की खातेदारी की उदघोषण नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर